न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 410/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. पांचाराम पुत्र कानाराम विश्नोई निवासी– हरिओम नगर, भेड़, तहसील ओसियॉ जोधपुर।		1. गोपीलाल पुत्र मंगलाराम 2. चैनाराम पुत्र कानाराम 3. चौथाराम पुत्र मेघाराम 4. बुद्धाराम पुत्र मेघाराम 5. हपाराम पुत्र मेघाराम समस्त जातियान– विश्नोई निवासी– हरिओम नगर, भेड़, तहसील ओसियॉ जोधपुर। 6. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, ओसियॉ

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.03.2022 जो उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ, जिला जोधपुर के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 153 ए/2021 अनवान गोपीलाल बनाम चैनाराम वगैराह में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री गिरधरसिंह भाटी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6 की ओर से।
4– रेस्पो0 संख्या 2 ता 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

निर्णय

दिनांक 28 नवम्बर, 2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राज0 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर ग्राम हरिओम नगर के भूमि ख0सं0 41/2 रकबा 1.3678 हैक्टर व ख0सं0 46/1 रकबा 1.5378 हैक्टर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाये जाने बाबत निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में रेस्पो0 की खातेदारी भूमि के पडौस में अन्य विप्रार्थीगण के ख0सं0 45 व 38 के खेत आये हुए है जो अप्रार्थीगण के कब्जाशुदा है। अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि की सीमाओं को आगे पीछे करके खुर्द बुर्द करना शुरू कर दिया है जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 9.7.2019 को सीमाज्ञान करवाया एवं सीमाचिन्ह बताये गये, तब अप्रार्थीगण ने उस स्थान पर पत्थर रोपने में रूकावटे पैदा की जिनको काफी समझाइश की गई परन्तु नहीं माने। अतः उनके खेत खसरान की पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान किये जावें। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये लेकिन नोटिस भेजने के बावजूद अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2022 के जरिये रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए ग्राम हरिओम नगर के खेत ख0सं0 41/2 रकबा 1.3678 हैक्टर, ख0सं0 46/1 रकबा 1.5378 हैक्टर भूमि का एक टीम गठित की जाकर पुनः सीमाज्ञान किया जाकर सीमाज्ञान की पत्थरगढी की जाने बाबत तथा वक्त पत्थरगढी कब्जा

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हस्तान्तरण नहीं किया जावे, बाबत तहसीलदार ओसियॉ को आदेश दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट ख0सं0 45 व 38 के काबिज सहखातेदार/काश्तकार है। उक्त भूमि के चारों तरफ पुरानी झाडियों की वक्त सेटलमेन्ट से माठ बनी हुई है तथा अपीलार्थी शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.3.2022 स्पष्ट रूप से विधिविरूद्ध, अभिलेख एवं सुस्पष्ट प्रावधानों के विरूद्ध पारित किया गया है जो मनमाना होने से निरस्त करने योग्य है। रेस्पो0 संख्या एक की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में हम अपीलान्ट/अप्रार्थीगण को जारी किये गये कोई सम्मन/नोटिस अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुआ। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना कोई साक्ष्य सबूत लिये एकपक्षीय रूप से सीधे ही तहसीलदार ओसियॉ को सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाये जाने का साथ ही पत्थरगढी पुलिस इमदाद से करवाये जाने का आदेश पारित कर दिया, जो निरस्त करने योग्य है।

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट/विपक्षी को सुनवाई व सूचना का अवसर नहीं दिया गया और न ही अपीलार्थी को कोई नोटिस प्राप्त हुआ। ऐसे में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्त करने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में बिना कोई मौका जॉच, साक्ष्य सबूत के स्वीकार करने में भारी विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि की है जबकि मौके पर खेत की सीमाओं की स्थिति बाबत रिपोर्ट तलब करनी चाहिये थी। बिना मौका रिपोर्ट तलब किये सीधा ही नेखमबन्दी करने का आदेश देने का उपखण्ड अधिकारी को कोई अधिकार नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी एवं पडौसी खातेदारान के खेतों के मध्य सीमाओं को तय किये बिना ही सीधा नेखमबन्दी करने का आदेश दिया है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2022 धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ पारित होने से निरस्त किया जावे।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128, राज0 भू राजस्व अधि0 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम हरिओम नगर में आई हुई उनकी खातेदारी वाली भूमि ख0सं0 41/2 रकबा 1.3678 हैक्टर व ख0सं0 46/1 रकबा 1.5378 हैक्टर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाये जाने बाबत निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र में रेस्पो0 की खातेदारी भूमि के पडौस में अन्य विप्रार्थीगण के ख0सं0 45 व 38 के खेत आये हुए होने से उन्हें पक्षकार अप्रार्थीगण संस्थित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त अप्रार्थीगण

आयुक्त

पत्रावली पर है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये लेकिन नोटिस भेजने के बावजूद अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टस के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2022 के जरिये रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए रेस्पो0 संख्या एक के उपरोक्त खसरान भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश पारित किया गया है जो विधि अनुकूल एवं नियमानुसार पारित होने से यथावत बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता ने भी यह कथन किया कि अपीलान्ट एवं अन्य रेस्पो0 के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक की उक्त खसरा भूमि की सीमाओं को खुर्द बुर्द करना शुरू कर दिया। जिस पर पटवारी हल्का से दिनांक 09.7.19 को सीमाज्ञान करवाया एवं सीमाचिन्ह का ज्ञान करवाया गया, उक्त सीमाज्ञान की कार्यवाही में अपीलान्ट पांचाराम के पुत्र ओमप्रकाश के द्वारा मौके पर उपस्थित थे एवं मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस पैमाइश कार्यवाही के दौरान अन्य पडौसी भी मौके पर उपस्थित थे।

रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2022 के जरिये प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर ख0सं0 41/2 रकबा 1.3678 हैक्टर, ख0सं0 46/1 रकबा 1.5378 हैक्टर भूमि का एक टीम गठित की जाकर पुनः सीमाज्ञान किया जाकर सीमाज्ञान की पत्थरगढी की जाने तथा वक्त पत्थरगढी कब्जा हस्तान्तरण नहीं किया जावे, बाबत तहसीलदार ओसियॉ को आदेश दिया गया है। रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अपने खसरान भूमि की नियमानुसार सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करवाई गई है जो उचित होने से यथावत रखी जावे। अपीलाधीन आदेश की पालना में तहसीलदार ओसियॉ के द्वारा आदेश दिनांक 04.07.2022 के द्वारा टीम गठिख्त की गई तथा टीम के द्वारा उक्त खसरान भूमि की दिनांक 8.7.2022 को सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार पुनः सीमांकन कर पत्थरगढी की जाकर पालना पूर्ण की जा चुकी है। उक्त पालना होने के पश्चात अपीलान्ट के द्वारा यह अपील दिनांक 26.07.202 को पेश की गई है। जो खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज की जावे एवं अपीलाधीन आदेश को बहाल रखा जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि प्रकरण में वादग्रस्त खेत खसरान की भूमि का सीमाज्ञान करवाकर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्थरगढी की कार्यवाही करने के आदेश पारित किये है जो उचित होने से बहाल रखा जावें।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश दिनांक 21.03.2022 इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि ग्राम हरिओम नगर के खसरा संख्या 41/2 व 46/1 की भूमि का सीमाज्ञान पूर्व में वर्ष 2019 में किया गया। पक्षकारान के मध्य में सीमा विवाद के कारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, ओसियॉ के द्वारा दिनाक 21.03.2022 को टीम गठित कर पुनः पैमाइश की जाकर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

अतः न्यायालय सहायक कलेक्टर, ओसियॉ के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2022 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुजांइश नहीं है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की यह अपील अस्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2022 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 28 नवम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर